भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 97

जिसका उत्तर 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक) को दिया गया

बैंकों द्वारा भेदभाव

97. श्रीमती केशरी देवी पटेलः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में माननीय संसद सदस्यों, माननीय विधायकों, वकीलों और पुलिस कर्मियों को कार/आवास ऋण सहित विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करने में सरकारी और निजी बैंकों द्वारा कोई भेदभाव किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई दोनों बैंक उक्त उपभोक्ताओं की अनदेखी करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) भविष्य में जन प्रतिनिधियों सहित उक्त लोगों के ऋणों के अनुमोदन को सुकर बनाने में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ड.): बैंकों द्वारा माननीय सासंदों, माननीय विधायकों, अधिवक्ताओं तथा पुलिस कार्मिकों को कार/आवास ऋण सहित अनेक प्रकार के ऋण मुहैया कराने में बैंकों द्वारा किए जाने वाले भेदभाव तथा पूर्वोक्त ग्राहकों को एचडीएफसी तथा आईसीआईसीआई बैंकों द्वारा नजरअंदाज करने के संबंध में आरबीआई ने सूचित किया है कि इस संबंध में इसके पास कोई सूचना नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सूचित किया है कि कार/आवास ऋण सहित अनेक प्रकार के ऋण मुहैया कराने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, लोक शिकायत समाधान संबंधी अनुमान के अभिलेखों की जांच की गई तथा एचडीएफसी एवं आईसीआईसीआई बैंक द्वारा पूर्वोक्त ग्राहकों को नजरअंदाज किए जाने संबंधी कोई भी विशिष्ट शिकायत नहीं पायी गई।

*****